राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष न. 0141–2227884, ई–मेल seprd123@gmail.com

क्रमांक एफ.4(78) परावि/पीसी/एमआईएस/ 2015–16/ 2324 जयपुर,दिनांक 02/07/2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद समस्त

विषय :–ई–पंचायत सॉफ्टवेयर का जिला परिषद एवं पंचायत समिति पर पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने बाबत्।

महोदय,

पूर्व में यह स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि इंटीग्रेटेड राज ई–पंचायत सॉफ्टवेयर जिला परिषद एवं पंचायत समिति में पूर्ण रूप से लागू होगा। सॉफ्टवेयर से होने वाले कार्यों में से कुछ का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है जिनके अनुसार कार्यवाही अपेक्षित हैं।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा इंटीग्रेटेड राज ई–पंचायत सॉफ्टवेयर की प्रगति की दिनांक 4.5.2018 को समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017–18 के दौरान राज्य वित्त आयोग में 87356 एवं 14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत 80957, कुल 168313 कार्य स्वीकृत हुए हैं, परन्तु ई–पंचायत सॉफ्टवेयर में मात्र 30615 कार्यो की तकनीकी स्वीकृतियां ही दर्ज हुई हैं। यह संभव है कि कार्यों की स्वीकृतियां ग्राम पंचायत द्वारा भी जारी की गई हों परंतु प्रत्येक कार्य की तकनीकी स्वीकृति जिला परिषद एवं पं0 समिति में कार्यरत अभियंता द्वारा ही जारी की गई हैं परंतु मात्र 30,615 कार्यो की टी.एस. जारी होने का स्पष्ट आशय यह है कि जिला परिषद एवं पं0 समिति स्तर से भी ई–पंचायत सॉफ्टवेयर का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है एवं पूर्व की भांति ऑफलाईन मोड से कार्य किया जा रहा है, जो विभागीय निर्देशों की अवहेलना है। इसी प्रकार राशि भुगतान, समायोजन आदि की कार्यवाही का अभाव है।

पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति से जारी होने वाली संपूर्ण कार्यवाही स्वीकृतियां (प्रशासनिक/तकनीकी/वित्तीय), राशि का भुगतान, समायोजन की कार्यवाही, परिशिष्ट 1 में अंकित अन्य कार्य इंटीग्रेटेड राज ई–पंचायत सॉफ्टवेयर से ही किए जायें। यदि जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) द्वारा ग्रामीण विकास के कार्यो की स्वीकृतियां IWMS से जारी की जा रही हैं तो वह स्वीकृतियां (प्रशासनिक/वित्तीय), पूर्व की भांति जारी की जा सकेगी परंतु इन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति एवं राशि भुगतान ई–पंचायत सॉफ्टवेयर से ऑनलाईन ही जारी की जावें। जिला परिषद (पंचायती राज) एवं पंचायत समिति की सम्पूर्ण कार्यवाही ई–पंचायत सॉफ्टवेयर से ही की जाये। इसमें कोई समस्या होने पर ई–पंचायत के हेल्पडेस्क पर शिकायत दर्ज की जावें एवं जिले में कार्यरत डी.पी.एम.यू. सैल का भी पूरा सहयोग लिया जावें। आवश्यक होने पर पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

शुभेच्छु,

(राजेश्वर सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

C:\Users\user\Desktop\Drafts\E-panchayat Letter 18.05.2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त
4. एसीपी, पंराज को बेवसाईट पर अपलोड हेतु

अधीक्षण अभियन्ता

C:\Users\user\Desktop\Drafts\E-panchayat Letter 18.05.2018

परिशिष्ट 1

इंटीग्रेटेड राज ई–पंचायत सॉफ्टवेयर से किये जाने वाले कार्य–

1. **एस.एस.ओ. आई डी क्रियेट करना** –जिला परिषद/पंचायत समिति पर कार्यरत सभी अधिकारियों/कार्मिकों (नियमित एवं संविदा) एवं जनप्रतिनिधियों(जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच) की एस.एस.ओ. आई.डी. क्रियेट की जाये (जिसके लिए आधार कार्ड, एम्प्लॉई आई.डी. एवं आधार कार्ड से मोबाईल नम्बर जुडा होना आवश्यक है)।
2. **बैंक खातों का इंद्राज एवं योजनावार उपलब्ध राशि का वर्गीकरण** – जिला परिषद और पंचायत समिति के प्रत्येक बैंक खातों का इन्द्राज किया जावें। दिनांक 01.04.2018 से प्रारंभिक शेष का इंद्राज करना एवं इसके पश्चात प्राप्त / व्यय राशि का इंद्राज करना। इस प्रकार अंतिम अवशेष बैंक में आज की अवशेष राशि से मिलान हो जायेगा।
3. **कार्यों की स्वीकृतियां जारी करना** –
    1. जिला परिषद एवं ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, से जारी होने वाली स्वीकृतियां अग्रिम आदेशों तक IWMS में जारी हो सकेगी, परंतु IWMS से स्वीकृत कार्यो की तकनीकी स्वीकृति एवं जिला परिषद (ग्रामीण विकास परिषद) से राशि का भुगतान ई–पंचायत सॉफ्टवेयर से ही किया जावेगा।
    2. जिला परिषद (पंचायती राज प्रकोष्ठ) एवं पंचायत समिति से किसी भी योजना में स्वीकृत होने वाले प्रत्येक कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति तथा राशि का भुगतान ई–पंचायत सॉफ्टवेयर से ही किया जावे।
    3. किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी योजना से स्वीकृत कार्यो की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अभियंता द्वारा पंचायत समिति या जिला स्तर से ई–पंचायत सॉफ्टवेयर से ही की जावेगी।
4. **मस्टरोल जारी करना–** ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2010 के बिन्दु संख्या 12.2 के अनुसार मस्टरोल पं0 समिति स्तर से जारी करने का प्रावधान है। साफ्टवेयर में मस्टरोल जारी करने की व्यवस्था की हुई है। अतः किसी भी योजना या कार्यों की पंचायत समिति द्वारा कोई भी मस्टरोल ऑफलाईन जारी नहीं की जावे एवं सभी मस्टरोल ई–पंचायत से ऑनलाईन जारी किये जावें। जो ग्राम पंचायत स्वयं ई पचायत सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है वह अपने कार्यो की मस्टरोल स्वयं जारी कर सकेगी।

5. **<u>जिला परिषद एवं पंचायत समिति से राशि हस्तान्तरण</u>** – जिला परिषद, पंचायत समिति से प्रत्येक योजना से ऑनलाईन राशि हस्तान्तरण ई–पंचायत से किया जावेगा। जिला प्रमुख एवं प्रधान की एस.एस.ओ. आई.डी. तत्काल क्रियेट की जाये ताकि इनके पास भुगतान से पूर्व औ.टी.पी जा सके एवं प्रत्येक भुगतान से पूर्व नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही हो सके। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि भुगतान हेतु अधिकृत करने की हस्ताक्षर कार्यवाही पंचायती राज RULE 96 के अनुसार ही होगी।

6. **<u>क्लस्टर मैनेजमेंट</u>** – अभियंता, लेखा कार्मिक, पंचायत प्रसार अधिकारी एवं अन्य कार्मिकों के क्लस्टर जिला परिषद स्तर से साफ्टवेयर में दर्ज किये जावे। कलस्टर व्यवस्था जिला परिषद स्तर से ही तय की जावेगी। क्लस्टर व्यवस्था में मैपिंग होने के बाद संबंधित ग्राम पंचायत के प्रत्येक कार्य की सूचना उक्त क्लस्टर के प्रभारी के पास स्वतः ही पहुँच जावेगी।

7. **<u>प्रगति इन्द्राज</u> :–** किसान सेवा केन्द्र, पंचायत समिति भवन निर्माण नवीन ग्राम पंचायत एवं अन्य कार्यों की प्रगति का इन्द्राज करना। प्रत्येक माह की दिनांक 1 व 16 को सॉफ्टवेयर में दर्ज प्रगति को आधार मानकर प्रगति का विश्लेषण किया जायेगा।

8. **कार्यों का निरीक्षणः–** विभिन्न योजनाओं में प्रगतिरत कार्यों का निरीक्षण।
9. अनुमोदित GPDP को अपलोड करना।
10. अन्य मॉड्यूल जो वर्तमान में उपलब्ध है, का उपयोग करना।